ऑन लाईन नं. **RCMS 2022/127**

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 12/2022

1. विनय लेघा पुत्र स्व0 मोहनलाल लेघा पुत्र स्व0 सहीराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 05, शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत शिवपुर फतूही जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिवपुर फतूही तहसील वा जिला श्रीगंगानगर।
2. लालचन्द लेघा पुत्र स्व0 मोहनलाल लेघा जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही हाल निवासी वार्ड नम्बर 21, मकान नम्बर 15, शिव कॉलोनी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व पट्टा संख्या 95 बुक नम्बर 473 दिनांक 13.07.2021 जो कि स्व0 सहीराम के पुराने पुश्तैनी मकान की जगह अहाता नम्बर 377 गांव फतूही का पट्टा गैर निगरानीकर्ता संख्या 02 के नाम से गलत व यकतरफा तौर पर जारी किया गया को निरस्त करने का आदेश दिये जाने बाबत।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थित : 1. श्री रामेश्वर लाल सुथार, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री राजेन्द्र ग्रोवर, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2

:: आदेश ::

दिनांक: 28.10.2022

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि " निगरानीकर्ता के दादा स्व0 सहीराम के नाम से एक भूखण्ड संख्या 377 पैमाईश 653 दरगज कब्जा में चला आ रहा था जिसमें सहीराम मय परिवार निवास करता था, सहीराम का देहान्त हो गया जिसके दो वारिस लालचन्द व मोहनलाल हुए। मोहनलाल का देहांत हो गया जिसके जायज वारिस निगरानीकर्ता, उसकी माता इन्द्रादेवी व निगरानीकर्ता का भाई विकास है, इस प्रकार उपरोक्त अहाता में निगरानीकर्ता के पिता मोहनलाल का 1/2 हिस्सा बना। कब्जा संयुक्त चला आया, अब गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ने उपरोक्त मकान को प्रयास किया तो निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत से पता किया तो पता चला कि उपरोक्त अहाता का पट्टा गैरनिगरानीकर्ता ने अपने नाम दिनांक 13.07.2021 को पट्टा संख्या 95 बुक संख्या 473 जारी करवाया हुआ है जिस पर निगरानीकर्ता ने ग्रांम पंचायत से पट्टा की नकल के लिए आग्रह किया तो कोई सुनवाई ना होने पर सूचना के अधिकार के अन्तर्गत विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीगंगानगर को निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया तो उन्होने भी अपने पत्र कमांक 4155 दिनांक 23.03.2022 के सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत शिवपुर फतूही को लिखा मगर फिर भी पट्टा की नकल नहीं दी गई। इस प्रकार पट्टा गलत जारी करवाया होने के कारण तथा कोई कूटरचित रिकॉर्ड तैयार कर जारी करवाया होने के कारण निगरानीकर्ता ने एस.पी.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

साहब श्रीगंगानगर को भी एक प्रार्थना पत्र पेश किया जो कि परिवाद संख्या 1258 पर दिनांक 13.04.2022 के दर्ज किया गया तथा थाना हिन्दुमलकोट को लिखा गया, एक प्रार्थना पत्र डाक दिनांक 07.04.2022 को भी एस.पी. श्रीगंगानगर को प्रेषित किया गया। इस प्रकार फौजदारी कार्यवाही अलग से चल रही है क्योंकि पट्टा गलत तौर से मिलीभगत करके बनाया गया है जबकि गैरनिगरानीकर्ता का कब्जा किसी प्रकार से 50 साल से होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता जबकि पट्टा नियम 154(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस प्रकार पट्टा के खिलाफ यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर पेश की।

1. यह कि पट्टा दिनांक 13.07.2021 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई ना तो ग्राम पंचायत ने उपलब्ध करवायी ना ही सूचना के अधिकार के अन्तर्गत पट्टा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के प्रयास के बावजूद मिली। अतः रिकॉर्ड आने पर प्राप्त कर पेश की जावेगी जबकि निगरानीकर्ता ने पंचायत रिकॉर्ड में पट्टा की प्रति लगी हुई देखी है। अतः पट्टा गलत खिलाफ कानून खिलाफ वाक्यात जारी होने से निरस्तनीय है।
2. यह कि पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो ग्राम पंचायत द्वारा कभी कोई आपत्ति सूचना जारी की ना ही निगरानीकर्ता पर किसी आपत्ति सूचना की तामील हुई ना ही किसी दैनिक समाचार में आपत्ति सूचना प्रकाशित करवायी गई तथा ना ही पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई, ना ही गांव में ढोल मुनियादी आदि द्वारा आपत्ति के बारे में कानूनी प्रक्रिया अपनायी जाकर सूचना दी गई कि किसी को आपत्ति हो तो पेश कर सकता है, इस प्रकार बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पट्टा जारी किया गया जो कि निरस्तनीय है।
3. यह कि ना तो ग्राम पंचायत की कोई मिटिंग हुई तथा ना ही किसी प्रकार से कोई प्रस्ताव पास किया गया ना ही किसी कमेटी का गठन किया गया तथा उससे कब्जा आदि सम्बन्धि जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया, ना ही कमेटी ने जांच कर रिपोर्ट दी, ना ही कभी निगरानीकर्ता से सम्पर्क किया जबकि वह इसी गांव का निवासी है। इस प्रकार पट्टा मिलीभगत करके जारी करवाया गया है तथा कोई कूटरचित रिकॉर्ड बनाकर जारी करवाया गया है, ना ही निगरानीकर्ता ने कभी ग्राम पंचायत को सहमति दी कि पट्टा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के नाम से जारी किया जावें तो उसको कोई आपत्ति नहीं है जबकि उसका जन्म से ही अपने दादा सहीराम की सम्पति में अर्थात उपरोक्त अहाता में हक बनता है। इस प्रकार यह प्रभावित व्यक्ति था मगर बिना प्रभावित व्यक्ति को बुलाये सुने पट्टा जारी किया गया है जो कि निरस्तनीय है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालयों ने अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में यही सिद्वांत प्रतिपादित किये है कि बिना प्रभावित पक्षकार को बुलाये सुने कोई पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी ने यदि स्व. सहीराम के किसी वारिस से किसी प्रकार की सहमति के हस्ताक्षर करवाये भी हो तो उससे यह क्यास नहीं लिया जा सकता कि गैरनिगरानीकर्ता के अधिकार समाप्त हो गए। अप्रार्थी संख्या 02 व उसका पुत्र राजनैतिक प्रभाव वाले है इस प्रकार मिलीभगत कर पट्टा जारी करवाया गया है जो निरस्तनीय है।
4. यह है कि यदि कोई विधिक प्रक्रिया अपनायी जाती तो किसी प्रकार से पट्टा जारी नहीं किया जाता, इस सम्बन्ध में अन्य रिकॉर्ड की भी तलाश की जा रही है

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

जो कि मिलने पर पेश कर दिया जावेगा। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 राजकीय सेवा में है तथा उसका पुत्र भी राजकीय सेवाा में है, इसी कारण मिलीभगत कर पट्टा जारी करवाया गया है।

5. यह कि निगरानी के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई मियाद नियत नहीं की गई बल्कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार श्रीमान न्यायालय किसी के प्रार्थना पत्र अथवा सोमोटिव भी गलत पट्टा की जानकारी होने पर पंचायत रिकॉर्ड मंगवाकर पट्टा की वैधता की जांच कर सकती है। अतः इस प्रस्तुत मामले में भी यदि किसी कारणवंश निगरानी को ना भी माना जावे तो प्रार्थना पत्र मानकर पंचायत रिकॉर्ड मंगवाकर उपरोक्त पट्टा की वैधता की जांच कर निरस्त करने का आदेश दिया जाना आवश्यक है।

लिहाजा निगरानी पेश करके अर्ज है कि उपरोक्त पट्टे का ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड मंगवाकर पट्टा की वैधता की जांच कर पट्टा को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

गैरनिगरानीकर्ता लालचन्द पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि :—

1. यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता विनय लेघा ने मुझ अप्रार्थी के पक्ष में आबादी गांव शिवपुर फतूही का अहाता नम्बर 377 पैमायशी 653 दरगज जिसका पट्टा नम्बर 95 बुक नम्बर 473 दिनांक 13.07.2021 को जारी किया गया है को निरस्त करने सम्बन्धी पेश की गई है, जो निम्न आधारों पर अपास्त किए जाने योग्य है :—
2. उक्त पट्टा जारी होने से पूर्व निगरानीकर्ता विनय लेघा को पूरी जानकारी से ही जारी करवाया गया है जिस पर विनय लेघा व विकास लेघा की माता श्रीमती इंदिरा ने मुझ अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा पुराने कब्जे के आधार पर जारी करवाने हेतु अपनी सहमति के हस्ताक्षर किए गए है तथा ग्राम पंचायत शिवपुर फतूही द्वारा अपने कार्यालय की सार्वजनिक सूचना दिनांक 07.08.2020 को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान की गई घोषणा व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्रांक एफ.156 मो/परावि/मिटिंग/2019/1822 दिनांक 09.08.2019 की अनुपालना में पट्टे जारी किए जाने एवं ग्राम पंचायत शिवपुर फतूही के पास पूर्व में जारी पट्टों का सम्पूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने, इस कारण निम्न आवेदित स्थलों पर पट्टों की पुनरावृति न हो, ऐसी स्थिति में अगर आवेदक द्वारा पट्टे पर पट्टा करवाया जाता है तो इसका स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा आदि—आदि कथनों के साथ सार्वजनिक सूचना दैनिक भोर समाचार पत्र 8 अगस्त 2020 को प्रकाशन करवाया गया, जिस पर विनय लेघा व विकास लेघा ने अपनी माता इंदिरा देवी से सहमति दिलवाई गई, इसके अलावा एक राजीनामा/बंटवारानामा दिनांक 22.08.2021 को गांव के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में विनय लेघा एवं विकास लेघा ने तथा गैरनिगरानीकर्ता लालचन्द लेघा पुत्र श्रीसहीराम की उपस्थिति में लिखा गया जिसमें चल व अचल सम्पतियों के सम्बन्ध में एक सहमति बनी और

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

तत्पश्चात विनय लेघा एवं विकास लेघा उस सहमति से हुए बंटवारानामा की पालना करने से मुकर गए जिस पर दोनों पक्षों अर्थात विनय लेघा व लालचंद लेघा की ओर से एक दूसरे के विरूद्व प्रथम सूचना पुलिस थाना हिन्दुमलकोट में दर्ज हुई और उसमें दोनों पक्षों की ओर से थाना हिन्दुमलकोट में राजीनामा के आधार पर एफ.आर. लगाए जाने पर सहमति दी गई। यह जरूर है कि उक्त एफ.आर. अभी तक थाने वालों ने सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है ना ही किसी पक्षकार की एफ.आर. स्वीकार हुई है।

3. यह कि यदि संक्षिप्त प्रक्रिया में उक्त पट्टा निगरानी की कार्यवाही में अपास्त या निरस्त होता है तो बैंक के पास जो पट्टा गिरवी रखा हुआ है, उसकी किश्तो में बिना वजह अवरोध पैदा होगा तथा मकान पर 10 लाख रूपए का जो ऋण बैंक से लेकर लगाया गया है, वह भी बाधित होगा।
4. यह कि जो प्रथम सूचना पुलिस थाना हिन्दुमलकोट में एफआईआर संख्या 229/02.08.2022 विनय लेघा की ओर से अदालत एसीजेएम नं.2, श्रीगंगानगर से जरिए इस्तगासा 156(3) जाब्ता फौजदारी में भिजवाई गई थी, उसे मुझ अप्रार्थी लालचन्द की ओर से माननीय राजस्थन उच्च न्यायालय जोधपुर में S.B.Criminal Misc (Pet.) No. 5282/2022 अनवानी लालचंद लेघा बनाम स्टेट वगैरा में दिनांक 16.09.2022 को सम्बन्धित पुलिस थाना के समक्ष अभ्यावेदन पत्र पेश करने का निर्देश हुआ जिसकी प्रति अभ्यावेदन पत्र की प्रति सलंग्न लिखित बहस है।
5. यह कि मुझ अप्रार्थी को पुराने कब्जे के आधार पर उक्त भूखण्ड का आवंटन कीमतन किया गया था जिसके पट्टे पर मैने पंजाब नैशनल बैंक शाखा फतूही से दस लाख रूपये का लोन लेकर माह नवम्बर 2021 में निर्माण करवाया और लोन की किश्ते 11000/- प्रतिमाह के हिसाब से मेरे वेतन खाता से बैंक को नियमित रूप से जा रही है। मकान के निर्माण पर 25 लाख रूपए का खर्च लगाया और मकान विनय लेघा व विकास लेघा की देखादेखी व उनकी मौन स्वीकृति में तैयार हुआ है। उन्होने कभी भी मकान निर्माण के समय कोई उज्जर व एतराज नहीं किया।
6. यह कि मुझ अप्रार्थी लालचंद के नाम से पूर्व में ऐसा कोई अहाता ग्राम पंचायत शिवपुर फतूही से मेरे नाम से आवंटित नहीं है और पट्टा बिलकुल राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों व उसके अधीन बने नियमों के तहत पूरी प्रक्रिया को अपनाकर आवंटित किया गया है। किसी भी तरह से कोई अनियमितता का उल्लंधन पट्टा आवंटन करवाने सम्बन्धी प्रक्रिया में नहीं अपनाई गई है।

दरअसल अहाते का पट्टा विनय लेघा व विकास लेघा की मौन स्वीकृति में जारी करवाया गया है और पट्टा पुराने कब्जे के आधार पर जारी हुआ है और जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय हिन्दुमलकोट में हुआ है, जहां तक हस्तगत निगरानी जो आरोप लगाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, उसमें लेशमात्र भी कोई अविधिकता व अनियमितता नहीं है बल्कि निगरानीकर्ता के मन में गलत लालच आ गया है और एक तरफ तो वो पुलिस कार्यवाही में अपनी सहमति देकर मामले को निस्तारित करवा रहा है, दूसरी तरफ निगरानी सारहीन तथ्यों पर पेश करके माननीय न्यायालय का मूल्यवान समय खराब किया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

है। रजिस्टर्ड पट्टा जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, उसे केवल सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है जिसके सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बमुकदमा अनवानी गोपाल पटेल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदि में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है:– **राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009–धारा 312 व 327–व्यप्ति–प्रार्थियों के पक्ष में जारी किया गया पंजीकृत पट्टा कलक्टर या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण शाक्तियों का प्रयोग करके अकृत नहीं किया जा सकता है–यह केवल सिविल वाद के जरिए प्रश्नगत किया जा सकता है या सिविल न्यायालय द्वारा अपास्त करवाया जा सकता है–कार्यवाही अभिखण्डित की जाने योग्य है। (पैरा–15,16 व 18)–15.Having regard to the submissions made by rival consel and after considering the judgement of Ramchanda (Supra.),this Court is of the considered view that registerleld patta granted in favour of petitioners cannot be annulled by the District Collector or any revisional authority in exercise of tis revisional power. 16-The registered patta can only be questioned in a suit or set aside by a Civil Court. 18- This being the position, all the writ petitions are allowed; impugned notices dated 13-03-2018 issued to the petiltioner(s) herein and proceedings in fulrtherance there of, are quashed.**

न्याय दृष्टांत –माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खण्डपीठ अनवानी अनूप कुमार आदि बनाम नानुराम आदि, 2012 (2) डब्ल्यू.एल.एन. 546 (राजस्थान) स.राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 नियम 156 एवं 158–ग्राम पंचायत ने याची के हक में वादग्रस्त भूमि का पट्टा जारी किया–प्रत्यर्थी ने कब्जे में होने का दावा किया एवं एस.डी.ओ. ने भी यह पाया कि प्रत्यर्थी अतिक्रमी की हैसियत से कब्जे में है–पट्टा स्वीकृत किए जाने के विरूद्व पुनरीक्षण याचिका प्रत्यर्थी द्वारा आठ वर्षो की देरी से प्रस्तुत की गई–एकल पीठ ने कब्जे के विवाधक की परीक्षा किए बिना प्रत्यर्थी के पट्टे के लिए आवेदन किए जाने के अधिकार की पुष्ट की। मामला ग्राम पंचायत को नए सिरे से दोनों पक्षकारों के दावों पर विचार करने के लिए प्रतिप्रेषित किया एवं ग्राम पंचायत का निर्णय होने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

उपरोक्त कानूनी व वाकयाती बिन्दुओं की रोशनी में माननीय न्यायालय के समक्ष जो निगरानी राजस्थान पंचायत एक्ट 1994 तद्धीन बनाए गए नियमों के संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। अतः उक्त निगरानी कानूनी बिन्दुओं एवं उपरोक्त न्याय दृष्टांतों की रोशनी में खारिज फरमाई जावें।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता के दादा स्व0 सहीराम के नाम से एक भूखण्ड संख्या 377 पैमाईश 653 दरगज कब्जा में चला आ रहा था जिसमें सहीराम मय परिवार निवास करता था, सहीराम का देहान्त हो गया जिसके दो वारिस लालचन्द व मोहनलाल हुए। मोहनलाल का देहांत हो गया जिसके जायज वारिस निगरानीकर्ता, उसकी माता इन्द्रादेवी व निगरानीकर्ता का भाई विकास है, इस प्रकार उपरोक्त अहाता में निगरानीकर्ता के पिता मोहनलाल का 1/2 हिस्सा बना। कब्जा संयुक्त चला आ रहा है। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो ग्राम पंचायत द्वारा कभी कोई आपत्ति सूचना जारी की ना ही निगरानीकर्ता पर किसी आपत्ति सूचना की तामील हुई ना ही किसी दैनिक समाचार में आपत्ति सूचना प्रकाशित करवायी गई तथा ना

ही पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई, ना ही गांव में ढोल मुनियादी आदि द्वारा आपत्ति के बारे में कानूनी प्रकिया अपनायी जाकर सूचना दी गई कि किसी को आपत्ति हो तो पेश कर सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व कोई मिटिंग नहीं की गई तथा ना ही किसी प्रकार से कोई प्रस्ताव पास किया गया ना ही किसी कमेटी का गठन किया गया तथा उससे कब्जा आदि सम्बन्धि जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया, ना ही कमेटी ने जांच कर रिपोर्ट दी, ना ही कभी निगरानीकर्ता से सम्पर्क किया जबकि वह इसी गांव का निवासी है। इस प्रकार पट्टा मिलीभगत करके जारी करवाया गया है एवं कूटरचित रिकॉर्ड बनाकर जारी करवाया गया है। निगरानीकर्ता ने कभी ग्राम पंचायत को सहमति नहीं दी कि पट्टा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के नाम से जारी जाता है तो उसको कोई आपत्ति नहीं है जबकि उसका जन्म से ही अपने दादा सहीराम की सम्पति में अर्थात उपरोक्त अहाता में हक बनता है। निगरानीकर्ता गांव प्रभावित व्यक्ति था मगर बिना प्रभावित व्यक्ति को बुलाये सुने पट्टा जारी किया गया है जो कि निरस्तनीय है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालयों ने अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में यही सिद्वांत प्रतिपादित किये है कि बिना प्रभावित पक्षकार को बुलाये सुने कोई पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। गैरनिगरानीकर्ता ने यदि स्व. सहीराम के किसी वारिस से किसी प्रकार की सहमति के हस्ताक्षर करवाये भी हो तो उससे यह क्यास नहीं लिया जा सकता कि गैरनिगरानीकर्ता के अधिकार समाप्त हो गए। अप्रार्थी संख्या 02 व उसका पुत्र राजनैतिक प्रभाव वाले है इस प्रकार मिलीभगत कर पट्टा जारी करवाया गया है। गैरनिगरानीकर्ता सख्या 2 ने अपने हक में हुए दिनांक 13.07.2021 को जारी आबादी भूमि के पट्टा को उप पंजीयक हिन्दुमलकोट के यहा रजि. करवाया जबकि कानून में ग्राम पंचायत के द्वारा जारी विकय विलेख को पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं है। जब ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया विकय विलेख ही प्रारम्भ से शून्य है तो उप पंजीयक हिन्दुमलकोट द्वारा की गई कार्यवाही कानून में स्वतः ही शून्य है। अगर विधिक प्रक्रिया अपनायी जाती तो किसी प्रकार से पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था। अतः निगरानी से सम्बन्धित रिकॉर्ड मंगवाकर उपरोक्त पट्टा की वैधता की जांच कर पट्टा निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

दौराने बहस अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता ने निम्न नजीरे पेश की हैः–

1- Ghewar Chand & anr. Vs – State & Anr. Civil Write Pet. No 1887 of 2017
2- Harnam Singh Vs – State & Anr.S.B. Civil Write Pet. No 2527 of 1987
3. धनराज व अन्य बनाम अति.जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर
   डी.एन.जे.(राज.) 1995 नम्बर 1545 / 1979

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण किया। कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष के निगरानीधीन पट्टो का ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के आलोक में अध्ययन किया। सर्वप्रथम निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत हस्तगस निगरानी में आक्षेपित ग्राम पंचायत शिवपुर फतूही द्वारा पट्टा संख्या 95 बुक नम्बर 473 मिसल नम्बर 04 / 2020 दिनांक 13.07.2021 को पट्टा निगरानीकर्ता के हक में जारी किया गया। पंचायत द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि कार्यवाही रजि0 वर्ष 2020–2021 में दिनांक 21.07.2020 को प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा प्रस्ताव पास कर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) न्यायालय

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 के नाम से कम संख्या 04 कब्जा के नियमन हेतु आवेदन देने का आंकलन है। जिसके लिए कमेटी का गठन किया जाकर आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का लिखा हुआ है। आगामी बैठक दिनांक 06.08.2020 को आहुत की गई है जिसमें कमेटी द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। पट्टा बही का अवलोकन करने पर पट्टा दिनांक 13.07.2021 को पंचायत की आज्ञा संख्या 04 दिनांक 06.08.2020 की पालना में जारी किया जाना पाया गया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड अनुसार प्रस्ताव रजिस्टर में दिनांक 13.07.2021 को कोई पंचायत मिटिंग होना या पंचायत की कार्यवाही में संकल्प पारित कर लालचन्द पुत्र सही राम के नाम से पट्टा जारी करने की कोई आज्ञा पारित नहीं की गई है। पट्टा पत्रावली में जो कार्यवाही अंकित की गई है उसमें किसी भी कार्यवाही को निष्पादित करने की दिनांकें अंकित नहीं है। पट्टा पत्रावली संख्या 04/2020 में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01.06.2020 को आदेश पारित कर 320/-रूपये की राशि दिनांक 06.08.2020 तक पंचायत कोष में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 द्वारा जमा करवाये जानें का आदेश पारित किया है जबकि पंचायत की रोकड़ बुक अनुसार रसीद संख्या 18 दिनांक 06.07.2021 को उक्त राशि जमा करवाई गई है जो कि बुक संख्या के पेज संख्या 41 की कम संख्या 18 पर दर्ज है और दिनांक 01.06.2020 को उक्त राशि जमा करवाने की आज्ञा के सम्बन्ध में कार्यवाही रजिस्टर में एवंम आज्ञाओं की सूचि में भी कोई इन्द्राज नहीं है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 18.08.2020 को पेश किया गया है जिसकी कम संख्या 06 में आवेदित भूखण्ड का नाम एवं आसपासा अंकित नहीं है। गैरनिगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं उसके साथ दिये गये शपथ पत्र में कोई दिनांक अंकित नहीं है। शपथ पत्र एवं आवेदन पत्र में 20 वर्षो से कब्जा होना बताया है जबकि पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1)(2) में 25 या 50 वर्षो में बने मकानों के नियमन का प्रावधान है। पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतयः सन्देहास्पद है। जब पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 13.07.2021 को कोई संकल्प ही पारित नहीं किया गया तो बिना संकल्प के पट्टा जारी कर दिया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत दिनांक 01.06.2020 को गैरनिगरानीकर्ता को नियमन शुल्क 320/-रूपये दिनांक 06.08.2020 तक जमा करवाना था जो उसके द्वारा रोकड़ पंजीका के अनुसार 06.07.2021 करवाये गये है। रिकॉर्ड का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि पंचायत की समस्त कार्यवाही दुर्भावना से एक ही निष्पादित की जानी प्रतीत होती है। जहां तक गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 अपना पट्टा के पक्ष में कथन किया कि उक्त पट्टा उप पंजीयक कार्यालय हिन्दुमलकोट से रजि0 हो चुका है जिसे माननीय न्यायालय को निरस्त क्षेत्राधिकार नहीं है के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जा रहा है कि जब प्रथम आदेश ही अवैध है तो उस अवैध आदेश को सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला प्रत्येक आदेश भी अवैध है जिसके सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर संख्या 01 पूर्ण से उक्त प्रकरण पर चस्पा होती है।

नजीर संख्या -01

> Ghewar Chand & Anr. VS State of Rajasthan & Ors. S.B. Civil Writ Petition N0. 8887/2017 "पट्टा का रजिस्ट्रेशन सुरक्षा कवच नहीं माना जा सकता- पट्टा निरस्त करने हेतु पट्टा का रजिस्ट्रेशन आधार नहीं होगा।"

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उक्त तथ्यों के मध्यनजर जब उक्त भूखण्ड के आवंटन की प्रक्रिया प्रथम दृष्टया ही अवैध है तो निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तत उक्त भूखण्ड के वारिसान हक के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय कोई कथन नहीं करना चाहता।

निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे उक्त तथ्यों के मध्यनजर स्वीकार किया जाता है और निगरानी को अन्दर मियाद माना जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेखीय आलोक में कानूनी प्रावधानों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत शिवपुर फतूही द्वारा निगरानी के तहत वर्णित/आक्षेपित गैर निगरानीकर्ता नम्बर 02 को जारी पट्टा विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया/ मार्गदर्शक सिद्वांतों की अवहेलना कर जारी किया गया है इसलिए इन्हे बहाल रखा जाना विधि की दृष्टि में उचित नहीं है। निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाती है। निगरानीधीन पट्टा सख्या 95 दिनांक 13.07.2021 जो गैर निगरानीकर्ता संख्या 02 लालचन्द लेघा के नाम जारी है, खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें

आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन)श्री गंगानगर।